

कर क्या है ? (WHAT IS TAX ?)

साधारण शब्दों में तो यह लोगों द्वारा किया जाने वाला अनिवार्य भुगतान है। यदि कोई व्यक्ति कर का भुगतान नहीं करता है तो उसे कानून द्वारा दंडित किया जा सकता है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने कर की विभिन्न परिभाषाएं दी हैं—

एडम के शब्दों में, "कर नागरिक द्वारा राज्य की सहायता के लिए दिए जाने वाला अंशदान है।" "(A tax is a contribution from citizens for the support of state.)"

सालिगमैन के अनुसार, "कर किसी व्यक्ति द्वारा सरकार को किया जाने वाला वह अनिवार्य भुगतान है जो बिना किसी लाभ की अपेक्षा किए जन साधारण के हितों के लिए किए गए व्यय को वहन करने के लिए किया जाता है।" ("A tax is a compulsory payment from a person to the govt. to defray the expenses incurred in the common interest of all without reference to special benefit conferred.")

वेस्टेबल के अनुसार, "कर किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह द्वारा किया जाने वाला धन का वह अनिवार्य अंशदान है जो कि सार्वजनिक शक्ति की सेवा के लिए प्रयोग किया जाता है।" ("Tax is a compulsory contribution of wealth of a person or body of persons for the service of the public powers.")

डी. मैरको (D. Marco), "कर नागरिकों की आय का वह भाग है जिसे राज्य अपने लिए साधनों की प्राप्ति के लिए ले लेता है जो कि सामान्य जन सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है।" ("The tax is the share of the income of citizens which the state appropriates in order to procure for itself the means necessary for the production of general public services.")

फिन्डले शिराज़ (Findlay Shirras), "कर सार्वजनिक प्राधिकरण को दिया गया अनिवार्य योगदान है जिससे सरकार के वह सामान्य व्यय पूरे होते हैं जो विशेष लाभों के प्रसंग के बिना जन कल्याण के लिए किये जाते हैं।" ("Taxes are compulsory contributions to public authorities to meet the general expenses of the government which have been incurred for the public good and without reference to special benefits.")

डाल्टन के अनुसार, "कर सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा लगाया जाने वाला वह अनिवार्य अंशदान है जिसके बदले में करदाता को दी जाने वाली सेवाएं निश्चित नहीं होतीं तथा न ही इसे किसी वैधानिक अपराध के लिए लगाया जाता है।" "A tax is a compulsory contribution imposed by a public authority irrespective of an exact amount of service rendered to the tax payer in return and not imposed as a penalty for any legal offence."

उपरोक्त वर्णित परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि कर, करदाताओं द्वारा दिया जाने वाला स्वैच्छिक भुगतान नहीं है बल्कि अनिवार्य भुगतान है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि किसी भी व्यक्ति को दिया जाने वाला प्रत्येक भुगतान कर नहीं है। यह तो लोगों की आय में से निकासी है, जिससे उनकी क्रय शक्ति कम हो जाती है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि कर से उत्पादन पर रोक लग सकती है परन्तु सार्वजनिक व्यय से उत्पादन प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। इस संदर्भ में डाल्टन ने कहा है कि जहां कराधान अकेला उत्पादन को रोक सकता है वहां सार्वजनिक व्यय अकेला ही उत्पादन को बढ़ा सकता है। इसलिए कर करदाता द्वारा किया जाने वाला ऐसा अनिवार्य अंशदान है जो कि सामाजिक उद्देश्य जैसे आय व सम्पत्ति की असमानता को कम करने उच्च रोजगार स्तर प्राप्त करने तथा आर्थिक स्थिरता व वृद्धि प्राप्त करने में सहायक होता है।

कर प्रणाली के लक्षण अथवा तत्व (ELEMENTS OR FEATURES OF TAX SYSTEM)

अर्थव्यवस्था के विकास में कर एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था के समग्र ढांचे को प्रभावित करता है। करारोपण का विचार केवल कठिन ही नहीं परन्तु उसे प्राप्त करना भी दुष्कर है। एडमुण्ड बर्क (Edmund Burke) ने ठीक ही इस बात पर बल दिया है कि कर लगाना और खुश करना उतना ही कठिन है जितना कि प्यार करना और बुद्धिमान होना। समुदाय का कोई न कोई भाग प्रायः सदा ही किसी न किसी कर का विरोध करता है। यदि एक कर ऋण देने वाले के हित में है निश्चित रूप में उपभोक्ता के लिए हानिकारक होगा तथा एक कर जो ऋणदाता के लिए हितकर नहीं वह उपभोक्ता के लिए हितकर होगा। इसलिए अच्छी कर प्रणाली को पूर्ण तथा आदर्श नहीं माना जा सकता है। परन्तु एक सर्वोत्तम कर व्यवस्था का अर्थ है न्यूनतम त्रुटियों वाली कर प्रणाली।

एक सर्वोत्तम कर प्रणाली के मुख्य लक्षण निम्नलिखित हैं—

1. कर एक अनिवार्य भुगतान है (Tax is a Compulsory Payment)— यदि करदाताओं ने कर लगाने योग्य पर्याप्त स्थितियों को प्राप्त कर लिया है तो कर भुगतान अनिवार्य है। अतः कुछ परिस्थितियों के अधीन ही कर देना अनिवार्य है। उदाहरण के रूप में यदि एक व्यक्ति सिगरेट नहीं पीता तो वह तम्बाकू पर बिक्री कर देने से इन्कार कर सकता है, इस प्रकार यदि वह कोई जुर्म नहीं करता तो वह जुर्माना देने से इन्कार कर सकता है। बुच्लर (Buchler) के शब्दों में "कर एक अनिवार्य योगदान है यद्यपि यह स्वैच्छा से दिया जा सकता है।"

2. त्याग का तत्व (Element of Sacrifice)— वैध अनिवार्यता के अतिरिक्त कर भुगतान में त्याग का तत्व भी सम्मिलित होता है। जो वस्तुएं हम खरीदते हैं उनका मूल्य देने के लिए हम वैधानिक रूप में बाध्य होते हैं परन्तु यह केवल व्यापारिक व्यवहार होता है। हम कीमत देते हैं क्योंकि हमें देनी होती है। परन्तु करों के प्रकरण में कम से कम सैद्धान्तिक रूप में त्याग की भावना होती है क्योंकि करदाता सार्वजनिक हित में कर देता है।

3. कर सरकार को दिया गया एक भुगतान है (Tax is a Payment to the Government)— यदि लोगों द्वारा आपस में भुगतान करने होते हैं अथवा सरकार द्वारा लोगों को भुगतान करने होते हैं तो वह कर नहीं होते। इसका अर्थ है कि कर अधिकृत संस्थाओं द्वारा लगाये जाते हैं और ऐसी संस्थाओं के अधीन हम सरकार के अतिरिक्त अन्य किसी सुन्दर्शन को नहीं ले सकते। यदि एक मन्दिर का प्रबन्धक न्यास किसी विशेष वर्ग के लोगों के सभी परिवारों के लिए प्रत्येक वर्ष एक विशेषीकृत राशि का भुगतान अनिवार्य कर देता है तो यह कर नहीं होगा। इसलिए कर केवल जनता द्वारा सरकार को किया गया भुगतान है।

4. कर एकत्रीकरण का लक्ष्य है जन-कल्याण (Aim of Tax Collection is Public Welfare) — सामान्य जनता के लाभ तथा समस्त समुदाय के अधिकतम कल्याण के लिए कर लगाए तथा एकत्रित किये जाते हैं। करों का व्यक्ति विशेष के हितों के लिए स्वार्थपूर्ण प्रयोग अथवा एक विशेष वर्ग के लोगों का इस प्रकार विकास जो सामान्य लोगों को स्वीकार्य न हो, की अनुमति नहीं है। कर राजस्व का व्यय समाज के समग्र कल्याण को ध्यान में रखते हुए किया जाता है न कि किसी विशेष वर्ग को ध्यान में रखते हुए।

5. कर लाभों की कीमत पर नहीं (Tax not at the Cost of the Benefit) — कर, सरकार द्वारा लोगों को दिए गये लाभों का मूल्य नहीं है। लाभ एवं कर एक दूसरे से स्वतन्त्र हैं। करों का भुगतान निःसन्देह सामान्य लोगों को लाभ पहुंचाने के लक्ष्य से किया जाता है परन्तु इसका एकत्रीकरण दिये गये लाभों की लागत वसूलने के लिए नहीं किया जाता। एक कर का सरकार द्वारा व्यक्ति को उपलब्ध करवाई गई सेवा से कोई सम्बन्ध नहीं है। डी. मार्को (De Marco) के मतानुसार, "कर वह मूल्य है जो प्रत्येक नागरिक राज्य को सामान्य जन सेवाओं जिनका उपभोग वह करेगा, की लागत के अपने भाग के रूप में करेगा।"

6. प्राप्त लाभ स्पष्ट रूप में कर की वापसी नहीं है (The Benefit received is not Directly the Return of tax) — यद्यपि एक व्यक्ति उस कोष के व्यय से उत्पन्न होने वाले लाभों को प्राप्त कर सकता है जिसमें करों के रूप में उसका योगदान होता है। फिर भी सरकार इस बात की गारन्टी नहीं देती कि वह एक विशेष व्यक्ति को उसके द्वारा करों के रूप में किये भुगतान की वापसी अथवा उसके अनुपात में लाभ उपलब्ध करवायेगी। एफ.डब्ल्यू.टासिंग (F.W. Taussig) का मानना है कि, "कर का सार कर-दाता और सार्वजनिक प्राधिकरण के बीच दूसरी वस्तु के समान दी या ली गई किसी वस्तु की स्पष्ट अनुपस्थिति है।"

7. कर आय से दिये जाते हैं (Taxes are paid out of Income) — कर आय में से दिए जाते हैं, यद्यपि आय में से बचत भी कर सकते हैं। डॉल्टन (Dalton) के शब्दों में, "आय और पूँजी पर निर्धारित करों में अन्तर को प्रायः बिल्कुल अलग अन्तर के साथ उलझाया जाता है जो कि क्रमशः आय और पूँजी में से दिये गये करों में होता है। परन्तु पूँजी पर निर्धारित कर आय में से दिया जा सकता है तथा इसके विपरीत। एक व्यक्ति जिसने मृत्यु शुल्क देना है वह उसे आय में से दे सकता है। इस प्रकार व्यक्ति आय कर देने के लिए प्रतिभूतियां बेच सकता है अथवा बैंक से उधार लेकर कर दे सकता है।" अतः इस भेद का कोई महत्व नहीं है।

8. कर व्यक्तियों द्वारा दिए जाते हैं (Taxes are Paid by the Persons) — कर व्यक्ति द्वारा दिया जाता है, यद्यपि व्यक्तियों की सम्पत्ति अथवा वस्तुओं पर भी लगाये जा सकते हैं। कर देना एक व्यक्तिगत दायित्व है। इसलिए सभी कर व्यक्तियों द्वारा दिये जाते हैं न कि उन वस्तुओं और सम्पत्तियों द्वारा जिन पर वह लगाए जाते हैं।

9. वैध स्वीकृति (Legal Sanction) — जब सरकार कर लगाने का अधिनियम पारित कर दे तो उसके पश्चात् ही कर लगाया जा सकता है। कर लगाना राज्य का अधिकार है। करों के पीछे वैध स्वीकृति होती है उनका एकत्रीकरण भी वैध होता है तथा एक व्यक्ति जो कर देने में असफल रहता है उसे कानूनी दण्ड दिया जा सकता है।

10. कर की विभिन्न किसिं (Different Types of Tax) — कर कई प्रकार के हो सकते हैं जैसे आय कर, बिक्री कर, धन कर, मनोरंजन कर, सम्पत्ति कर, जल कर, गृह कर आदि।

11. व्यापार अथवा उद्योग पर कोई प्रभाव नहीं (No effect on Trade and Industry) — एक अच्छा कर व्यापार और उद्योग की वृद्धि में रुकावट नहीं बनता, बल्कि यह देश के तीव्र आर्थिक विकास में सहायता करता है। इसकी रचना इस प्रकार की जाये जिससे अतिरिक्त साधन गतिशील हो तथा उनका प्रयोग सामान्य कल्याण के लिए हो।

करारोपन के उद्देश्य अथवा लक्ष्य (OBJECTS OR AIMS OF TAXATION)

करारोपन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

1. सार्वजनिक राजस्व का निर्माण (Raising Public Revenue) — साधारणतया करारोपण का प्रमुख लक्ष्य है सरकार के लिए राजस्व एकत्रित करना। आजकल सरकार ने सामाजिक सेवाएं उपलब्ध करवाने, आर्थिक विकास का संवर्धन तथा युद्ध से निपटने के दायित्व भी ले लिए हैं। आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्र में इन सब विस्तारों ने सरकार द्वारा व्यय किये

जाने के लिए महान कोष को आवश्यक बना दिया है। कोष की जितनी अधिक आवश्यकता होगी उतने ही कर अधिक लगेंगे। इस प्रकार करारोपण का मुख्य उद्देश्य निस्तंर बढ़ते हुए सार्वजनिक व्यय को पूरा करने के लिए सार्वजनिक राजस्व का निर्माण करना होता है।

2. नियमन और नियन्त्रण (Regulation and Control) — नियमन तथा नियन्त्रण करारोपण के महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। सरकार करारोपण द्वारा न केवल सार्वजनिक राजस्व का निर्माण करती है बल्कि कुछ वस्तुओं और सेवाओं पर समाज के स्वस्थ स्वरूप के लिए अभीष्ट एवं आदरणीय ढंग से बन्दिशें भी लगाती है। हानिकारक वस्तुओं के उपभोग को सीमित करने के लिए तप्त्वाकू और मदिरा पर उत्पादन शुल्क लगाये जाते हैं। दूसरी ओर आयात और निर्यात शुल्क है जिनसे भी सार्वजनिक राजस्व बढ़ता है परन्तु उनके विशेष उद्देश्य दूसरे ही होते हैं। आयात शुल्क (कर) उन वस्तुओं के आयात पर रोक लगाने के लिए लगाए जाते हैं जो देश के नवजात उद्योगों के लिए हानिकारक हो सकती हैं। इसी प्रकार विलासता पूर्ण वस्तुओं के आयात पर भारी कर लगाए जा सकते हैं ताकि राष्ट्रीय कोष को देश के अन्दर आवश्यक उत्पादनों में लगाया जा सके। इसी प्रकार निर्यात शुल्क (कर) देश के अन्दर आवश्यक वस्तुओं के निर्यात को रोकने के लिए लगाए जाते हैं। इस प्रकार करारोपण का दूसरा मुख्य लक्ष्य है देश की अर्धव्यवस्था को देश की आवश्यकताओं के अनुसार नियमित करना।

3. आय एवं धन की असमानताओं को कम करना (Reduction of Inequalities in Income and Wealth) — करारोपण का एक अन्य लक्ष्य है आय एवं धन की असमानता को कम करना। अर्द्धविकसित देशों का एक मुख्य लक्षण यह है कि जहां उच्चतम आय वर्ग के लोगों की आय तथा न्यूनतम आय वर्ग के लोगों की आय में व्यापक अन्तर होता है। इसी कारण करारोपण का एक लक्ष्य आय एवं धन का इस ढंग से पुनः वितरण करना है कि जिससे इसका न्याय संगत एवं समान वितरण हो सके। समृद्ध लोगों पर भारी कर लगा कर तथा निर्धन लोगों पर कम कर लगा कर यह सम्भव हो सकता है। यह प्रगतिशील करों जैसे आय-कर, मृत्यु शुल्क, धन-कर आदि का यही उद्देश्य होता है।

4. पूँजी निर्माण का संवर्धन (Promotion of Capital Formation) — करारोपण का एक अन्य लक्ष्य है पूँजी निर्माण का संवर्धन। विकासशील देशों में करारोपण का मुख्य उद्देश्य है वचतों को अधिक गतिशील बनाना तथा पूँजी निर्माण का संवर्धन। वचतों को करारोपण की महायता से सरलतापूर्वक उत्पादन तथा पूँजी निर्माण की ओर निर्देशित किया जा सकता है।

5. व्यापारिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार की स्थिति को बनाये रखना (Business Stability and Maintaining full employment) — करारोपण का एक अन्य उद्देश्य है व्यापारिक स्थायीत्व लाना तथा पूर्ण रोजगार की स्थितियां बनाये रखना। व्यापारिक मन्दी के समय में करों की कम दर लोगों को अधिक आय प्रदान करेगी और मांग की वृद्धि में सहायंक होंगीं जिससे व्यापारिक गतिविधि पुनः जागृत होगी। इसके विपरीत करों के उच्च दर तथा अतिरिक्त कर मूल्यों पर स्फीतिकारी दबावों को रोकने में सहायक हो सकती हैं। इस प्रकार कर नीति का प्रयोग मूल्यों की स्थिरता व्यापारिक प्रफुल्लता तथा मन्दी को रोकने तथा अर्धव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति बनाये रखने के लिए नियमनीकरण के संयंत्र के रूप में किया जा सकता है।

6. राजनैतिक लक्ष्य (Political Objectives) — एक प्रजातान्त्रिक देश में करारोपण का प्रयोग राजनैतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के उपकरण के रूप में भी किया जाता है। उदाहरण के रूप में निम्न एवं मध्यवर्गीय मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए समृद्ध लोगों और विलासता पूर्ण वस्तुओं पर ऊंचे कर लगाये जाते हैं। निर्धन तथा मध्य वर्ग के लोगों के प्रयोग में आने वाली वस्तुओं पर या तो नामामात्र के कर लगाये जाते हैं अथवा लगाये ही नहीं जाते। इस प्रकार करारोपण एक देश में राजनैतिक लक्ष्यों की की प्राप्ति हेतु सक्रिय रहता है।

7. राष्ट्रीय आय में वृद्धि (Increase in National Income) — करारोपण का एक और लक्ष्य है राष्ट्रीय आय में वृद्धि। कर सरकार की आय का मुख्य स्रोत है। यह आय, उत्पादक कार्यों के लिए प्रयोग की जाती है तथा इससे समग्र उत्पादन में वृद्धि होती है। उत्पादन में इस वृद्धि के कारण देश की राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है।

8. अनावश्यक उपभोग पर रोक (Restriction on Unnecessary Consumption) — करारोपण का एक अन्य उद्देश्य है अनावश्यक उपभोग को रोकना, विशेष रूप में हानिकारक वस्तुओं के उपयोग को जैसे मदिरा, सिगरेट, बीड़ी, भांग आदि। जब ऐसी वस्तुओं पर भारी कर लगाये जाते हैं तो ऐसी वस्तुओं का उपभोग अपने-आप कम हो जाता है। ए.पी.

लर्नर (A.P. Lerner) के अनुसार, "व्यक्तियों पर केवल उस सीमा तक कर लगाया जाये जिससे कर दाता पहले से निषं
हो जाये।"

9. उचित मानक (Proper Standard) — करारोपण का एक और उद्देश्य है उचित मानकों को बनाये रखना। प्रे.
ए.पी. लर्नर के अनुसार, "कर केवल इसलिए न लगाया जाये कि सरकार को धन की आवश्यकता है। आर्थिक व्यवहारों
पर तभी कर लगाये जायें जब इन व्यवहारों को हतोत्तराहित करना आवश्यक समझा जाये। व्यक्तियों पर कर तभी लगाये
जायें जब कर दाता को निर्धन बनाने की इच्छा हो।"